भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4050
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

महिला आरक्षण बिल

4050. श्री मारगनी भरत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक संसद में बहुत लंबे समय से लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने के लिए इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाएगी ; और

(ग) उक्त विधेयक को संसद के समक्ष विचारण और पारित कराने हेतु कब तक लाया जाएगा ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा में लगभग एक तिहाई सीटों के आरक्षण पर विचार करते हुए संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008, 9 मार्च 2010 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और जो 15वीं लोक सभा में लम्बित था। लोक सभा के विघटन पर विधेयक व्यपगत हो गया।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का उपबंध करने हेतु सरकार का प्रयास रहा है।

इस मुद्दे पर, संसद के समक्ष, संविधान में संशोधन करने के लिए कोई विधेयक लाने से पूर्व सभी राजनैतिक दलों के बीच सहमति के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने की आवश्यकता भी शामिल है।

****